

## कार्यालय उपनिदेशक(माध्यमिक)शिक्षाविभाग,कोटा

—:: कार्यालय—आदेश::—

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम,1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार शिड्युल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू )के पदों पर संलग्न सूची में अध्यापकों को डीपीसी वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार पे-बैंड पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड-पे 4200 में राज्य सरकार के स्वीकृत पदों पर पदोन्नत कर उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। यदि पाते वेतन पर कार्यरत कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत है तो भी पदोन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना आवश्यक रूप से भिजवायी जावे ।

पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर इन्हे दिनांक 06.11.2017 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जायेगा ।

संबंधित संस्था प्रधानों का निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिकों को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथासमय अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें । यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अप्रेशन सहित स्थानीय कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 07.11.2017 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

1-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.01 के प्रावधानानुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं है।


2-आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जावे। अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें ।

यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है/निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे, एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे ।

यह पदोन्नति आदेश एतद् विषयक माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं व डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) 318/16 में प्रदत्त अंतरिम आदेश व अंतिम निर्णय के अधधीन रहेंगे ।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामिल करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष की रहेगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गया हो तो इनके परिवर्तित /वर्तमान कार्यरत स्थान पर उक्त आदेश तामिल करवाया जावे।

संबंधित संस्थाप्रधान इनकी कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।



(रामस्वरूप)

उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षाविभाग,कोटा

दिनांक: 25.10.2017

क्रमांक:उनिमाशि/को/संस्था-3(20307)2017/512

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1- सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर
- 2- विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षामंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर
- 3- आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0जयपुर
- 4- निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान-बीकानेर
- 5- उपनिदेशक ,प्रारंभिक शिक्षा, कोटा
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक )कोटा/बून्दी/बॉरा/झालावाड
- 6- संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान/संबंधित अध्यापक
- 7- वरिष्ठता अनुभाग,स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली



उपनिदेशक(माध्यमिक)

शिक्षाविभाग,कोटा


कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,कोटा

क्रमांक : 512

दिनांक 25.10.2017

विषय : उर्दू

कस.	मज्दल वरि क्रमांक	अवधि	डीपीसी चयन वर्ष	नाम अध्यापक	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	वअ पद पर पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	जिला
1	1181	88-98	2017-18	बिलकिस बेगम		राउप्रावि बलदेवपुरा (खटकड)	बून्दी	05-07-65	राउप्रावि गुरुनानक कॉलोनी	बून्दी
2	1833	88-98	2017-18	शबाना		राउमावि सुकेत कोटा	कोटा	12-06-72	राउमावि गुमानपुरा,कोटा	कोटा
3	5126	88-98	2017-18	शरीफ मोहम्मद		राउप्रावि बैगनी बारां	बारां	11-03-69	राउमावि बारां	बारां

  
(रामसरोप)

25.10.17  
उपनिदेशक(माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग,कोटा